



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 22.01.2026

निर्णय पारित किया गया : 30.01.2026

द्वितीय अपील सं 26/2012

अम्रिका बाई पति रंजीत लोधी 35 वर्ष पिता धनकू लोधी , व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम रामतोला, तह-
डोंगरगढ़, जिलाराजनदगांव , छ.ग.

---अपीलकर्ता

बनाम

- 1 - भगवती बाई पति धनकू लोधी 40 वर्ष निवासी गाँव-रामतोला, डोंगरगढ़, जिलाराजनदगांव , छ.ग.
- 2 - अजय कुमार पिता धनकुलोधी 15 वर्ष , द्वारा :माता भगवतीबाई , 40 वर्ष पति धनकुलोधी निवासी ग्राम रामतोला डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव छ.ग.
- 3 - माधव पिता धनकुलोधी उम्र लगभग 13 वर्ष, माता भगवतीबाई द्वारा नाबालिग, उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी धनकुलोधी निवासी ग्राम रामतोला डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
- 4 - चोलू पिता धनकुलोधी उम्र लगभग 9 वर्ष, माता भगवतीबाई से नाबालिग, उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी धनकुलोधी निवासी ग्राम रामतोला डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)
- 5 - दुर्गा प्रसाद पिता धनकुलोधी उम्र लगभग 6 वर्ष, माता भगवतीबाई से नाबालिग, उम्र लगभग 40 वर्ष पति धनकुलोधी निवासी ग्राम रामतोला डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
- 6 - छत्तीसगढ़ राज्य कलेक्टर के द्वारा , राजनांदगांव (छ.ग.)
- 7-गौत्रिहा पिता गंगाप्रसाद उम्र लगभग 50 वर्ष जाति लोधी निवासी ग्राम मुंडगांव तहसील डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)
- 8 - लक्ष्मीबाई पति रीवा पिता गौत्रिहा, उम्र लगभग 25 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम मुंडगांव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (सीजी.)
- 9 - गायत्री पिता गौत्रिहा, उम्र लगभग 20 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम मुंडगांव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (सीजी.)



10 - राधिका पिता गौत्रिहा, उम्र लगभग 18 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम मुंडगांव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (सीजी.)

11 - खेमचंद पिता गौत्रिहा, उम्र लगभग 14 वर्ष, नाबालिग, गौत्रिहा के द्वारा , उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता गंगाप्रसाद, जाति लोधी, निवासी ग्राम मुंडगांव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (सीजी.)

12 - भवंतिन पिता गौत्रिहा, उम्र लगभग 9 वर्ष, गौत्रिहा के द्वारा , उम्र लगभग 50 वर्ष पिता गंगाप्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम मुंडगांव तहसील डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

13 - लीलाबाती माता गौत्रिहा, नाबालिग, उम्र लगभग 6 वर्ष, गौत्रिहा के द्वारा , लगभग 50 वर्ष , पिता गंगाप्रसाद, जाति लोधी, निवासी ग्राम मुंडगांव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (सी.जी.)

---उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलकर्तागण हेतु :--श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 से 5 : -- श्री संजय पटेल, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :-- श्री लेखराम ध्रुव, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 7 से 13 हेतु :-- नोटिस देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत दायर इस अपील के माध्यम से अपीलकर्ता/वादी ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ सर्किट के माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल अपील संख्या 13-ए/2008 (अमरीका बाई और अन्य बनाम भगवती बाई और अन्य) में दिनांक 14.12.2011 को पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी है, जो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के माननीय सिविल न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, द्वारा सिविल वाद संख्या 35-ए/2006 (अमरीका बाई और अन्य बनाम धनुक और अन्य) में दिनांक 25.11.2008 को पारित निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादी/अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। सुविधा के लिए, आगे के सभी पक्षों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

2. वर्तमान अपील को इस न्यायालय ने 21.06.2021 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न पर स्वीकार किया:



“क्या दोनों विचारण न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 की उपधारा (1) के परंतुक के आधार पर यह मानते हुए कि वादी अपने पिता धनुक की संपत्ति की उत्तराधिकार की हकदार नहीं है, न्यायालय के अभिलेखों के विपरीत निर्णय देकर वाद को खारिज करने में न्यायसंगत थे?”

3. वादी पक्ष ने पटवारी हल्का नंबर 25 लालबहादुर नगर, तहसील डोंगरगढ़, खसरा नंबर 378 रकबा 0.862 हेक्टेयर, खसरा नंबर 692 रकबा में स्थित भूमि के अलग-अलग कब्जे के लिए कृषि भूमि 016 हेक्टेयर, खसरा नंबर 690 रकबा 0.138 हेक्टेयर, खसरा नंबर 357/1 रकबा 0.142 हेक्टेयर, खसरा नंबर 416 रकबा 0.231 हेक्टेयर, खसरा नंबर 431 रकबा 0.202 हेक्टेयर, खसरा नंबर 598 रकबा 0.360 हेक्टेयर खसरा नंबर 600 रकबा 0.930 हेक्टेयर खसरा संख्या 610 रकबा 0.150 हेक्टेयर और खसरा संख्या 617 रकबा 0.267 हेक्टेयर भूमि के संबंध में, के विभाजन के लिए वाद दायर किया तथा अन्य बातों के साथ तर्क दिया गया है कि वादी संख्या 1 मूल प्रतिवादी संख्या 1 धनुक की पुत्री है जबकि वादी संख्या 2 कचरा बाई का पति है, जो उक्त धनुक की एक अन्य पुत्री है और वादी संख्या 3 से 8 वादी संख्या 2 की संतान हैं। यह तर्क दिया गया है कि मूल प्रतिवादी सं 1 धनुक के पिता, अर्थात् धुखेल लोधी, 26.00 एकड़ भूमि के स्वामी थे। धुखेल की मृत्यु के पश्चात्, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में धनुक को 6.30 एकड़ भूमि मिली। इस पैतृक संपत्ति से प्राप्त आय से धनुक ने रामातोला गांव के आशाराम और अन्य लोगों से 2.50 एकड़ भूमि खरीदी और उसके बाद अपनी पत्नी हेमकुंवर के साथ अपने भाइयों के संयुक्त परिवार से पृथक रहने लगा। हेमकुंवर बाई और धनुक के विवाह से उन्हें दो पुत्रियाँ हुईं, जिनका नाम अमरीकाबाई (वादी संख्या 1) और कचरबाई (मृत) है, जो वादी संख्या 2 की पत्नी और वादी संख्या 3 से 8 की माता हैं। धनुक अपनी पत्नी हेमकुंवर पर लगातार अत्याचार करता था। दोनों पुत्रियाँ की विवाह के बाद, उसने हेमकुंवर बाई पर और भी क्रूरता करना शुरू कर दिया और भगवतीबाई (प्रतिवादी संख्या 2) को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। इसके परिणामस्वरूप, उसकी पहली पत्नी हेमकुंवर बाई ने भरण-पोषण के लिए न्यायालय में आवेदन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हेमकुंवर बाई द्वारा भरण-पोषण की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर, धनुक ने अपनी दूसरी पत्नी भगवतीबाई के प्रभाव में आकर, भगवतीबाई से जन्मे अपने पुत्रों अजय कुमार (प्रतिवादी संख्या 3) और माधव (प्रतिवादी संख्या 4) के नाम पर पैतृक संपत्ति में से 2.82 हेक्टेयर, अर्थात् लगभग 5.50 एकड़ भूमि का नामांतरण करवा लिया और अपने अलग खाते में केवल 1.016 हेक्टेयर, अर्थात् लगभग 2.54 एकड़ भूमि ही रखी। इस अवधि के दौरान हेमकुंवर बाई का निधन हो गया। वादीगण के अनुसार, जब वादी संख्या 1 के पति ने उस पर हमला किया और उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया, तो वादी संख्या 1 ने अपने पिता धनुक से आजीविका के लिए भूमि और घर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके बाद, धनुक ने उसे 1.25 एकड़ भूमि और घर का एक हिस्सा उसके भरण-पोषण के लिए दिया, जहाँ वह रहती थी और कृषि कार्य करती थी। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 धनुक (अब दिवंगत) ने वादी संख्या 1 को दी गई 0.25 एकड़ भूमि को 09.01.2006 को बिलकटाराम को अवैध रूप से बेच दिया और वह वाद संपत्ति को भी बेचने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 धनुक ने भगवतीबाई से उनकी पहली पत्नी हेमकुंवर बाई के जीवित रहते हुए ही विवाह कर लिया, वह भी उनसे तलाक लिए बिना।



4. उक्त दीवानी वाद में, प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया और वाद के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि धनुक को बंटवारे में लगभग 6.00 एकड़ भूमि मिली थी। विभाजन पश्चात्, उन्होंने अपनी निजी आय से 2.50 एकड़ भूमि खरीदी, जिसे उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले बेच दिया था। धनुक ने 4.00 एकड़ भूमि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को बेच दी, जिसे उनके नाबालिग होने के नाते 1,00,000 रुपये में पंजीकृत विलेख के माध्यम से खरीदा गया था। यह रकम उनकी माता भगवतीबाई को उनके मायके से मिली थी। हेमकुंवर बाई के हठी और गुस्सैल स्वभाव के कारण, उन्होंने जातिगत रीति-रिवाजों के अनुसार धनुक से तलाक ले लिया, और उसके बाद धनुक ने भगवतीबाई से विवाह कर लिया। वादी संख्या 1 ने अपने पिता धनुक से लगातार बंटवारे की मांग की, जिसके बाद लगभग आठ वर्ष पूर्व धनुक ने ग्रामीणों को बुलाकर बंटवारे में उन्हें 1.00 एकड़ भूमि आवंटित की, जिस पर उनका पूर्ण स्वामित्व है और वे उस पर खेती करती हैं। उक्त विभाजन में धनुक ने वादी संख्या 1 को भी घर का एक हिस्सा आवंटित किया था, जिसमें वह रह रही है। इस संबंध में गांव में एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया था और उस पर पंच साक्षियों ने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, वादी किसी भी प्रकार की राहत पाने की हकदार नहीं है और उसने वाद को खारिज करने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने, विवाद्यक को निर्धारित करने और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर उचित विचार करने के बाद, वादियों द्वारा दायर वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1956') की धारा 6 की उपधारा (1) के परंतुक के अनुसार, 20 दिसंबर, 2004 (अर्थात् 20 दिसंबर, 2005) से पहले किया गया कोई भी निराकरण या हस्तांतरण, जिसमें विभाजन या वसीयतनामा निराकरण शामिल है, प्रभावित नहीं होगा या अमान्य नहीं होगा।

6. उक्त निर्णय और डिक्री के विरुद्ध वादियों ने अपील न्यायालय में दीवानी अपील दायर की, और अपील न्यायालय ने चुनौती दिए गए निर्णय और डिक्री द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बरकरार रखते हुए दीवानी अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार, अपीलकर्ता/वादी संख्या 1 द्वारा यह अपील दायर की गई है।

7. अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विवादित निर्णय और आदेश स्पष्ट रूप से अवैध और विकृत हैं, क्योंकि वादी, मूल प्रतिवादी संख्या 1 धनुक की पुत्री होने के नाते, अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकार की विधिक रूप से हकदार है। आक्षेपित निर्णयों में दर्ज निष्कर्ष अधिनियम, 1956 की धारा 6 की उपधारा (1) के परंतुक के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग पर आधारित हैं, जबकि वैध विभाजन या वैध हस्तांतरण की कोई विधिक रूप से मान्य पुष्टि नहीं है, जो कि निर्धारित समय सीमा अर्थात् 20.12.2004 से पूर्व हुई हो। यह निष्कर्ष कि वादी अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिता की हकदार नहीं है, अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में भूमि के महत्वपूर्ण हिस्सों के कथित हस्तांतरण का कोई



प्रतिफल प्रमाण नहीं है और यह वादी के वैध उत्तराधिकार अधिकारों को जानबूझकर नकारने का प्रयास प्रतीत होता है। द्वितीय विवाह और प्रथागत तलाक की वैधता के संबंध में दिया गया तर्क भी निराधार रहा। वैसे भी, आक्षेपित तर्क अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत निर्धारित वैधानिक कट-ऑफ तिथि पर विचार न करने को दर्शाता है, जिससे विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत हस्तक्षेप आवश्यक है।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि वादी को उसके पिता के जीवनकाल में ही भूमि और मकान का एक हिस्सा आवंटित किया जा चुका था और वह उस पर कब्जा रखती है, तथा यह कि संपत्तियां अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के परंतुक के तहत निर्धारित समय सीमा से पहले ही विभाजित और हस्तांतरित हो चुकी थीं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के अलग कोष से खरीदी गई थी और अपील को खारिज करने का कोई ठोस कानूनी प्रश्न नहीं उठता है। प्रतिवादियों के अनुसार, वादी के माता-पिता, धनुक और हेमकुंवर बाई का विवाह उनके समाज की प्रथा के अनुसार भंग कर दिया गया था।

9. प्रतिवादी संख्या 7 से 13/वादी संख्या 2 से 8 को 17.07.2021 और 22.07.2021 को नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, वे अनुपस्थित रहे।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

11. वर्तमान प्रकरण में, वादी के अनुसार, विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है। 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत, पुत्रियों को भी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान सहदायिक माना जाता है।

12. इस संदर्भ में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (1) के प्रावधानों का उल्लेख करना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है:

“6. सहदायिक संपत्ति में हित का हस्तांतरण:

(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने की तिथि से, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहदायिक की पुत्री-

(क) जन्म से ही पुत्र के समान सहदायिक हो जाएगी;

(ख) सहदायिक संपत्ति में उसके वही अधिकार होंगे जो पुत्र होने पर होते;

(ग) उक्त सहदायिक संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी, और हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के संदर्भ में सहदायिक की पुत्री का संदर्भ भी शामिल माना जाएगा। परंतु कि इस उपधारा में निहित



कोई भी बात 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए किसी भी संपत्ति के निराकरण या हस्तांतरण, जिसमें विभाजन या वसीयती निराकरण शामिल है, को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगी।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य, एआईआर 2020 एससी 3717 मामले में दिए गए निर्णय में कंडिका 126 और 129 में निम्नलिखित कहा है: --

“126. सहदायिक के रूप में पुत्रियों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम 1956 की संशोधित धारा 6 में किया गया है, जो न्यायालय के निर्णय द्वारा या पंजीकृत विलेख द्वारा किए गए विभाजन को मान्यता देता है। 20.12.2004 से पहले किए गए विभाजन को वैध माना जाएगा।”

XXXXXXXXXXXXXX

129. परिणामस्वरूप, हम संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(i) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान संशोधन से पहले या बाद में जन्मी पुत्री को पुत्र के समान ही सहदायिक का दर्जा और समान अधिकार एवं दायित्व प्रदान करते हैं।

(ii) पहले जन्मी पुत्री 9.9.2005 से इन अधिकारों का दावा कर सकती है, बशर्ते धारा 6(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए निराकरण, हस्तांतरण, विभाजन या वसीयतनामा संबंधी निराकरण पर छूट दी गई हो।

(iii) चूंकि सहदायिक अधिकार जन्म से होता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता सहदायिक 9.9.2005 को जीवित हो।

(iv) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के परंतुक द्वारा मूल रूप से निर्मित विभाजन की वैधानिक परिकल्पना से वास्तविक विभाजन या सहदायिक उत्तराधिकार का विघटन नहीं हुआ। यह परिकल्पना केवल मृत सहदायिक के हिस्से का निर्धारण करने के उद्देश्य से थी, जब उसके बाद अधिनियम, 1956 की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी की कोई महिला उत्तराधिकारी या ऐसी महिला का कोई पुरुष संबंधी जीवित हो। प्रतिस्थापित धारा 6 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू किया जाना आवश्यक है। यद्यपि प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने के बावजूद, अंतिम डिक्री के लिए लंबित कार्यवाही या अपील में पुत्रियों को पुत्र के बराबर सहदायिक हिस्सा दिया जाएगा।

(v) 1956 के अधिनियम की धारा 6(5) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों की कठोरता को देखते हुए, मौखिक विभाजन के तर्क को विभाजन के वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा या न्यायालय के डिक्री द्वारा किया गया हो। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां मौखिक विभाजन की दलील सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो और विभाजन अंततः उसी तरह सिद्ध हो जैसे कि न्यायालय के



निर्णय द्वारा किया गया हो, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।केवल मौखिक साक्ष्य पर आधारित विभाजन की तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

14. अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) को, जैसा कि अधिनियम संख्या 39, 2005 द्वारा 9.09.2005 को संशोधित किया गया था, के प्रत्यक्ष अध्ययन से यह स्पष्ट है कि एक सहदायिक की पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान सहदायिक बन जाती है और सहदायिक संपत्ति में समान अधिकारों और दायित्वों की हकदार होती है। संशोधन का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना और पुत्रियों को समान सहदायिक अधिकार प्रदान करना है।

15. धारा 6(1) का परंतुक केवल ऐसे निपटान या हस्तांतरण, जिसमें विभाजन या वसीयतनामा निराकरण शामिल है, को ही सुरक्षित रखता है, जो 20.12.2004 से पहले हुआ हो।हालांकि, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा (उपरोक्त) मामले में स्पष्ट रूप से कहा है, परंतुक का संरक्षण केवल सक्षम न्यायालय के निर्णय या पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किए गए विभाजन पर ही लागू होता है।मौखिक विभाजन या अपंजीकृत पारिवारिक व्यवस्था, भले ही उसका उल्लेख किया गया हो, परंतुक के प्रयोजन के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विभाजन नहीं माना जाता है।

16. वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी द्वारा वर्णित विभाजन स्पष्ट रूप से मौखिक प्रकृति का है।न तो कोई पंजीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत किया गया है और न ही कट-ऑफ तिथि से पहले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित विभाजन का कोई आदेश है।उत्तरवादीगण द्वारा जिस कथित विभाजन का हवाला दिया गया है, वह न तो पंजीकृत है और न ही विधि के अनुसार सिद्ध है, इसलिए इसे अधिनियम, 1956 की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुरूप विभाजन नहीं माना जा सकता है।

17. वादी को उसके पिता के जीवनकाल में भूमि और आवासीय मकान के एक हिस्से का आवंटन, यदि स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी वादी संख्या 1 के भरण-पोषण और निवास की व्यवस्था मात्र प्रतीत होती है और किसी भी तर्क से इसे सहदायिक संपत्ति का पूर्ण और अंतिम विभाजन नहीं माना जा सकता जिससे अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत वादी संख्या 1 को प्रदत्त वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएं।

18. आक्षेपित तर्क इस गलत धारणा पर आधारित है कि कट-ऑफ तिथि से पहले मौखिक विभाजन पुत्री के दावे को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है।ऐसा दृष्टिकोण विनीता शर्मा (उपरोक्त) मामले में दिए गए विधि के स्पष्ट रूप से विपरीत है, जिसमें यह अनिवार्य है कि केवल पंजीकृत विलेख द्वारा या 20.12.2004 से पहले न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया विभाजन ही मान्य है।

19. विधिक रूप से मान्यता प्राप्त विभाजन के प्रमाण के अभाव में, वादी संख्या 1 पैतृक संपत्ति में सहदायिक बनी रहती है और विभाजन तथा पृथक कब्जे की मांग करने की हकदार है।अप्रमाणित मौखिक विभाजन के आधार पर ऐसे अधिकार से इनकार करने से कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।



20. जहां तक प्रतिवादियों के इस तर्क का संबंध है कि वादी के माता-पिता धनुक और हेमकुंवर बाई के बीच विवाह प्रथागत रीति-रिवाजों का पालन करते हुए भंग हो गया है, यह सर्वविदित विधि है कि ऐसी प्रथा का दावा करने वाले पक्ष पर यह भार होता है कि वह विशेष रूप से यह बताए और सख्ती से साबित करे कि प्रथा विवाह भंग करने की स्वीकृति देती है। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

21. तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का मुख्य प्रश्न अपीलकर्ता/वादी संख्या 1 के पक्ष में हल किया जाता है। आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है।

22. फलस्वरूप, दूसरी अपील स्वीकार की जाती है। वादी संख्या 1, अर्थात् अपीलकर्ता, विधि के अनुसार वाद संपत्ति में अपने वैध हिस्से की हकदार होगी।

23. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश



हेड नोट :

• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 6 के तहत अधिकारों का दावा 09.09.2005 से पहले जन्मी पुत्री भी कर सकती है, परंतु धारा 6(1) में निहित बचाव खंड के अधीन, अर्थात् 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए किसी भी निपटान या हस्तांतरण, विभाजन या वसीयती व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



•किसी सहदायिक की पुत्री जन्म से ही सहदायिक बन जाती है,जैसे पुत्र बनता है।मौखिक विभाजन का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधि विभाजन को तभी मान्यता देता है जब वह या तो पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय द्वारा संपन्न हो।



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

